प्रेषक,

अनिल कुमार सेठ,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
प्रयागराज।

द्वारा,

श्रीमान प्रमुख सचिव,
विधायी विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक 28.06.2024 सपठित शासनादेश सं0–20/2024/सा–3–276/दस/2024/301(1)/2024, दिनांक 11.07.2024 के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रेषित विकल्प पत्र में तिथि से संबंधित टंकण त्रुटियां दुरूस्त करने के उपरान्त संशोधित विकल्प पत्र प्रस्तुतीकरण।

आदरणीय महोदय,

1– विषय उपर्युक्त के संबंध में ससम्मान निवेदन करना है कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के शासनादेश सं0–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, लखनऊ के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जिनका चयन ऐसे पद के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश की नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुकी थी, के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा दिनांक 11 जुलाई,2024 के शासनादेश सं0–20/2024/सा–3–276/दस–2024 /301(1)/2024 के माध्यम से विकल्प पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र सं0–9283/VIIb-104/Admin D सेक्शन, दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र सं0–9691/IV-F-82 (PENSION) /Admin(1) दिनांक 16.07.2024 को भी प्रकरण के संबंध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को हार्ड कॉपी में एवं संबंधित अधिकारी के ई–सर्विसेज पर उपलब्ध ई–पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी समय से प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

3– उ0प्र0 शासन के शासनादेश उपरोक्त एवं मा0 उच्च न्यायालय के पत्र उपरोक्त के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र दिनांक 24.07.2024 को प्रेषित किया गया था, जिसमें विज्ञप्ति एवं नियुक्ति की तिथि से संबंधित टंकण त्रुटियां रह गयी थीं, जिन्हें संशोधित करके इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करके प्रेषित किया जा रहा है।

4– यह अवगत कराना समीचीन है कि अधोहस्ताक्षरी न्यायिक सेवा वर्ष 2003 बैच का न्यायिक अधिकारी है। अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं0–ए–2–ई–1/2003, दिनांकित 15 नवम्बर, 2003 में उल्लिखित रिक्तियों के सापेक्ष हुयी है। विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि दिनांक 26.05.2006 थी एवं योगदान की तिथि दिनांक 16.06.2006 थी। अधोहस्ताक्षरी का अब तक नवीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन कटौती (PRAN ID) सं0–110022697126 पर की जा रही है। अतः उ0प्र0 राज्य के उपरोक्त शासनादेश दिनांकित 28.06.2024 के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है एवं पुरानी पेंशन योजना आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प प्रस्तुत कर रहा है।

5– अतः उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त शासनादेश एवं मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का **दिनांक 24.07.2024 को प्रेषित विकल्प पत्र में टंकण त्रुटि दुरूस्त करने के उपरांत संशोधित विकल्प पत्र** प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करके प्रस्तुत किया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का संशोधित विकल्प पत्र मय सम्पूर्ण प्रपत्र मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ई–सर्विसेज के जे.ओ. पोर्टल पर भी सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपलोड किया जा रहा है।

ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी पूर्व में दिनांक 24.07.2024 को प्रेषित पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु प्रस्तुत विकल्प पत्र में टंकण त्रुटि दुरूस्त करने के उपरान्त अपना संशोधित विकल्प पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी का पुरानी पेंशन योजना से संबंधित संशोधित विकल्प पत्र मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं संबंधित पेंशन प्राधिकारी के समक्ष रखने की कृपा करें।

ससम्मान!

दिनांक–08.08.2024

अग्रसारित

09.08.24
(अतुल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
विधायी विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

भवदीय,
Anil Kseth
08/08/24
(अनिल कुमार सेठ)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
विधायी विभाग,
उ0प्र0 शासन।
(ID No.-UP 6347)

संलग्नक:–

1. निर्धारित प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र (संशोधित) मूल रूप में ।
2. उ0प्र0 शासन के उक्त उल्लिखित दोनों शासनादेश वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, लखनऊ, दिनांकित 28.06.2024 एवं 11.07.2024 की छाया प्रति।
3. अधोहस्ताक्षरी के चयन के संबंध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन, दिनांकित 15.11.2023 की छायाप्रति।
4. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांकित 13.06.2006, सं0– 1126/डी.आर.(एस)/2006, की छायाप्रति।

(1)

शासनादेश संख्या– 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नकः–

विकल्प पत्र (संशोधित)

1. नाम	:	**अनिल कुमार सेठ**
2. वर्तमान पदनाम	:	**विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन**
3. वेतनमान	:	**J-5 (144840-194660)** **बेसिक वेतनमान.... रू0 183490/– (माह जुलाई, 2024)**
4. वर्तमान विभाग का नाम	:	**मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीन नियुक्त** न्यायिक अधिकारी/न्याय विभाग *(वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन में।)*
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	:	**उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग–4 (माध्यम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग)**
6. विज्ञप्ति की तिथि	:	**15.11.2003 (विज्ञापन सं0– A-2/ई–1/2003)**
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	:	**26.05.2006** *(संख्या– 2430/दो–4–06–32(1)/2001 टी.सी.1, उ0प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग–4, लखनऊ एवं मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत अधिसूचना– 1126/डी.आर. (एस)/2006, दिनांकित 13.06.2006)*
8. योगदान की तिथि	:	**16.06.2006 (1 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भदोही स्थान ज्ञानपुर)**
9. जन्म तिथि	:	**03.04.1978**
10. सेवानिवृत्ति की तिथि	:	**30.04.2038**

मैं **अनिल कुमार सेठ** पुत्र **श्री चन्द्र मोहन सेठ** शासनादेश संख्या– 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना** (√) ~~नई पेंशन योजना~~ (x) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

हस्ताक्षर– Anilkseth 08/08/24
नाम– अनिल कुमार सेठ
पदनाम– विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(ID No.-UP 6347)

घोषणा–पत्र

मैं अनिल कुमार सेठ पदनाम–विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– Anilkseth 08/08/24
नाम– अनिल कुमार सेठ
पदनाम– विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(ID No.-UP 6347)

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री अनिल कुमार सेठ पदनाम विशेष सचिव, विधायी विभाग, उ०प्र०शासन को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना** (√) ~~नई पेंशन योजना~~ (x) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

09.8.2024

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
(अतुल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
विधायी विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(श्री)

संख्या-14/ 2024/ सा-3-243/ दस-2024/ 301(1)/ 2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/ रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/ नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/ 05/ 2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/ संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/ शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/ नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/ अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-सा-3-243(1)/ दस-2024/ 301(1)/ 2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

२१२

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लोक सेवा आयोग, उ०प्र०

विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003 डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन उ.प्र. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट http://uppsc.nic.in पर भी उपलब्ध है। [illegible]

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु [illegible] में प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों का [illegible]

2. रिक्तियाँ – रिक्तियों की कुल संख्या-341 है जिसमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 73, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए [illegible] उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 172 रिक्तियाँ आरक्षित हैं। [illegible]

[illegible]

3. डाकघरों की सूची – [illegible]

4. [illegible]

1. आयु सीमा – [illegible]

5. महत्वपूर्ण निर्देश – [illegible]

[illegible]

(15) यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो वह इस सम्बन्ध में आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग से [illegible]

परिशिष्ट-1

केन्द्रों के नाम :-

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	जनपद
1	आगरा	2	इलाहाबाद
3	बरेली	4	गोरखपुर
5	झाँसी	6	लखनऊ
7	मेरठ	8	वाराणसी

परिशिष्ट-2

<u>उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम</u>

प्रश्न पत्र-प्रथम 2 घंटे अंक-150

<u>सामान्य ज्ञान</u>

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र-द्वितीय 2 घंटे अंक-300

विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में लागू विधि के विशेष रूप से निम्नलिखित [illegible] पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं:

(i) विधि शास्त्र
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
(iii) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मामला
(iv) भारतीय संविधान
(v) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम
(vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(vii) भारतीय दण्ड संहिता
(viii) सिविल प्रक्रिया संहिता
(ix) आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(x) संविदा विधि

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)

<u>मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम</u>

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :

<u>प्रश्न पत्र संख्या - 1 सामान्य ज्ञान :</u>

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। "सामान्य ज्ञान" का एक प्रश्न पत्र होगा।

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

<u>प्रश्न पत्र संख्या - 2 भाषा :</u>

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के चार प्रश्न सम्मिलित होंगे :

(1)	अंग्रेजी में विनिर्दिष्ट एक निबन्ध	60 अंक
(2)	अंग्रेजी में सार लेखन	60 अंक
(3)	हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद	40 अंक
(4)	अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद	40 अंक

<u>प्रश्न पत्र संख्या - 3 विधि-1</u>

(मौलिक विधि) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। [illegible]

संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुखाचार अधिकार और अपकृत्य सम्बन्धी विधि, सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित विधि जिसमें निष्पक्षता एवं न्याय के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। [illegible] हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि और सांविधानिक विधि।

50 अंकों के प्रश्न केवल सांविधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।

<u>प्रश्न पत्र संख्या - 4 विधि-2</u>

[illegible]

<u>प्रश्न पत्र संख्या - 5 विधि-3</u>

[illegible]

साक्षात्कार – [illegible]

टिप्पणी :- [illegible]

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: June 13, 2006

No. 947 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Vikas Goyal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Farrukhabad in the vacant court.

No. 948 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Tanya Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi in the vacant court.

No. 949 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Prashant Mittal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut in the vacant court.

No. 950 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Shelly Roy**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hathras in the vacant court..

No. 951 /DR(S)/2006

Sri **Bhoopendra Rai,** Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 952 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Sanjeev Kumar Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 953 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Kamlesh Kumar Pathak**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad.

No. 954 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06–32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Hitendra Hari**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mau in vacant court.

No. 1120 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Chhavi Asthana**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Faizabad.

No. 1121 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 **Km. Nupur**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Rampur.

No. 1122 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Anuradha Pundir**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Bijnor.

No. 1123 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Mohd. Suhaib Asif**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot in the vacant court.

No. 1124 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Km. **Archna Gupta**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur in the vacant court.

No. 1125 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Avadhesh Pandey**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Barabanki.

No. 1126 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Anil Kumar Seth**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Bhadohi at Gyanpur in the vacant court.

No. 1127 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Netra Pal Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Budaun in the vacant court.

No. 1128 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Amarjeet**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Etawah.